



सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया  
*Central Bank of India*

1911 से आपके लिए “केंद्रित” “CENTRAL” TO YOU SINCE 1911

चंडीगढ़ अंचल

बैंक के जमा उत्पाद

## जमा खाते

जैसा कि हम जाते हैं कि बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब बैंक द्वारा ग्राहक के नाम में अपने यहां कोई खाता खोला जाता है. सामान्यतः आरंभ में सभी खाते ग्राहक द्वारा नगद राशि जमा करके खोले जाते हैं इसलिए इस प्रकार से खुलने वाले सभी खातों को जमा खाते अर्थात् डिपॉजिट अकाउंट के नाम से जाना जाता है. हम यह भी जानते हैं कि बैंक अपने अधिकांश संसाधन जनता से जमा राशियों के रूप में स्वीकार करके एकत्र करते हैं और अपनी व्यवस्था बनाते हैं. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में दी गई बैंकिंग की परिभाषा के अनुसार बैंक के अनिवार्य कार्यों में से एक कार्य जनता से जमा राशियों को स्वीकार करना भी है. बैंक समाज के प्रत्येक व्यक्ति से चाहे वह किसी भी व्यवसाय अथवा आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो या उसकी किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति हो, जमा राशियां स्वीकार करता है यही कारण है कि इन व्यक्तियों के लिए अलग-अलग प्रकार जमा खातों की आवश्यकता होती है. इस आवश्यकता के मद्देनजर, बैंकों ने कई तरह के जमा खाता खोलने की सुविधाएं देना प्रारंभ किया है जिसके अंतर्गत खातेदार को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और विशेष अधिकार दिए जाते हैं. विद्यमान परंपरा के अनुसार बैंक द्वारा खोले जाने वाले खाते मूलतः तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं -

1. चालू जमा खाता
2. बचत जमा खाता
3. सावधि जमा खाता

उपरोक्त के अतिरिक्त, बैंकों द्वारा कुछ अन्य प्रकार के जमा खाते भी खोले जाते हैं जैसे कि आवर्ती जमा खाता, दैनिक लघु जमा खाते, मासिक अथवा तिमाही आधार पर ब्याज प्रदान करवे वाले खाते. अगर गौर

से देखा जाए तो इस प्रकार के खाते भी एक प्रकार के सावधि जमा खाते ही होते हैं क्योंकि इन खातों को भी एक निश्चित अवधि हेतु ही खोला जाता है और उसके बाद इन खातों में परिपक्वता राशि ग्राहक को वापिस कर दी जाती है. इस प्रकार के खातों का उद्देश्य केवल इतना ही होता है कि यह खाते ग्राहक द्वारा निश्चित किए गए किसी आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समय पर उसकी बचत का ब्याज सहित उसे भुगतान मिल जाए. इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा खाते, एनआरआई बचत खाते, एनआरओ खाते, पूँजी लाभ खाते, आदि भी सावधि जमा एवं बचत जमा खातों के ही विभिन्न रूप हैं जो कि विशिष्ट प्रकार के ग्राहकों की सुविधार्थ खोले जाते हैं ताकि वे इन खातों के माध्यम से लाभान्वित हो सकें क्योंकि यह हम पहले कह चुके हैं कि बैंकों द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति से जमा राशियां स्वीकार की जाती हैं.

## कोरोना से बचें



हाथ धोये बार बार साबुन से



सही से मास्क पहनें



निभाएं दो गज की दूरी



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया  
Central Bank of India  
1911 से आपके लिए "केटिडा" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911  
www.centralbankofindia.co.in

**जब तक दवाई नहीं  
तब तक ढिलाई नहीं**

टोल फ्री नंबर : 1800-22-1911  
f लाईक करें : <https://www.facebook.com/CentralBankofIndia>  
t फॉलो करें : [https://twitter.com/centralbank\\_in](https://twitter.com/centralbank_in)

## चालू जमा खाते

जैसा कि हम जानते हैं कि चालू खाता निरंतर कार्यशील रहने वाला और गतिशील खाता होता है जिसमें से किसी भी कार्य दिवस के दौरान ग्राहक द्वारा अनेक बार राशि का लेन-देन किया जा सकता है अर्थात् ग्राहक अपने चालू खाते में से जितनी बार चाहे और जितनी बार राशि का जमा/आहरण कर सकता इस प्रकार खातों में बैंक का यह दायित्व होता है कि बैंक खाते में जमा राशि की मांग प्राप्त होने पर, जमा राशि ग्राहक को वापिस कर दें. इसलिए इस प्रकार के खातों में जमा रकम बैंक की मांग देयताएं अर्थात् डिमांड लाईबिलिटीज के नाम से जानी जाती हैं. ध्यान देने वाली बात है कि चालू खाता व्यवसायियों, व्यापारियों, कंपनियों, संस्थाओं, सार्वजनिक संगठनों तथा सार्वजनिक निगमों की आवश्यकता के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इस प्रकार की क्रिया-कलापों अथवा संगठनों के बैंक संबंधी दैनिक व्यवहार बहुत अधिक होते हैं. बचत जमा अथवा सावधि जमाओं के विपरीत चालू खाते की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार समझी जा सकती हैं.

1. चालू खाता में दैनिक आधार पर खाताधारक द्वारा अनेक बार राशि जमा अथवा निकाली जा सकती है जिस पर कोई बंधन नहीं होता है.
2. इस प्रकार खातों पर बैंक द्वारा खाताधारक को कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है.
3. इस प्रकार के खातों हेतु ग्राहकों से रख-रखाव शुल्क वसूल किया जाता है क्योंकि चालू खाते का उद्देश्य अन्य प्रकार के खातों से भिन्न होता है. चूंकि चालू खातों हेतु संचालन लागत बहुत अधिक होती है अतः यह भी एक कारण है कि चालू खाते में जमा रकम पर बैंकों द्वारा ब्याज ना दिए जाने की प्रथा है. कुछ बैंक्स इन खातों में कोई प्रभार वसूल करते हैं किंतु वह यह शर्त लगाते हैं कि उसके पास इस प्रकार के खातों में निरंतर इतनी रकम जमा बाकी रहे कि बैंक को ऐसा खाता रखने पर

होने वालें व्ययों की क्षतिपूर्ति हेतु वह राशि पर्याप्त हो. ऐसी राशि को क्यू ए बी अथवा एम ए बी के नाम से जाना जाता है.

4. तृतीय पक्षकारों के नाम में लिखे गए चेक आदि जिन पर उपयुक्त पृष्ठांकन हो, वसूली हेतु चालू खातों में जमा किए जा सकते हैं.
5. बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सावधि ऋणों का वितरण भी इस प्रकार के खातों के माध्यम से किया जाता है.

हमारे बैंक द्वारा भी ग्राहकों की सुविधार्थ चालू खाते खोले जाते हैं. सामान्य चालू खाते में न्यूनतम जमा राशि तथा खाता खोलने हेतु प्रारंभिक राशि शाखा की श्रेणी के आधार नियत है जो कि निम्नानुसार है.

शाखा श्रेणी	न्यूनतम क्यूएबी तथा प्रारंभिक जमा
ग्रामीण शाखा	रु. 3000.00
अर्द्धशहरी शाखा	रु. 3000.00
शहरी शाखा तथा मेट्रो शाखा	रु. 7000.00

सामान्य चालू खाते के अतिरिक्त हमारे बैंक में विशेष प्रकार के चालू खाते भी रहे हैं जो कि निम्नानुसार हैं.

1. सेंट सिल्वर – चालू खाते के इस प्रकार में रु. 50000.00 क्यूएबी तथा खाता खोलने हेतु प्रारंभिक राशि है.
2. सेंट गोल्ड - चालू खाते के इस प्रकार में रु. 200000.00 क्यूएबी तथा खाता खोलने हेतु प्रारंभिक राशि है.

3. सेंट डायमंड - चालू खाते के इस प्रकार में रु. 500000.00 क्यूएबी तथा खाता खोलने हेतु प्रारंभिक राशि है.
4. सेंट प्लेटिनम – चालू खाते का यह विशिष्ट प्रकार हमारे बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोचाखानावालाजी के 138वें जन्मदिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया, अतः अब चालू खाते के प्रकार यथा सेंट सिल्वर, सेंट गोल्ड और डायमंड वेरिएंट बंद कर दिए हैं. इस खाते में न्यूनतम ए.क्यू.बी. रु. 3.00 लाख है किंतु यदि लगातार दो तिमाहियों के लिए इस ए क्यू बी को नहीं बनाए रखा जाता है तो खाता सामान्य चालू खातेके रूप में परिवर्तित हो जाएगा. इस खाते में होम ब्रांच में रु. 5.00 लाख तक तथा नॉन होम ब्रांच में रु. 2.00 लाख तक दैनिक नकद जमा की जा सकती है. सेंट प्लेटिनम खाते में रु. 50000.00 तक के बाहरी चेक की तत्काल जमा की जाती है. इस खाते हेतु पहले वर्ष के लिए पी.ओ.एस. के लिए कोई किराया नहीं देय है. इस खाते से आरटीजीएस/एनईएफटी हेतु शुल्क देय नहीं है और यदि खातेदार द्वारा कोई रिटेल ऋण हेतु आवेदन किया जाता है तो उस खुदरा ऋण के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगता. खाताधारक द्वारा यदि बैंक में लॉकर किराए पर लिया जाता है तो एक वर्ष हेतु लॉकर किराए में 50 प्रतिशत की छूट.

ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी ग्राहको आप भी अपना विकास कर सकते हैं

**सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया**  
Central Bank of India  
1911 से आरंभ किए "सेंट्रल" "CENTRAL TO YOU SINCE 1911"

**सेंट सक्षम**

ज़ीरो बैलेन्स के साथ चालू खाता खोला जा सकता है.

- निःशुल्क क्यूआर कोड के साथ शंभटमुक्त डिजिटल ट्रांज़ेक्शन.
- खाता ज़ीरो बैलेन्स के साथ खोला जा सकता है, न्यूनतम तिमाही शेष ₹ १०००/-.
- एटीएम कार्ड उपलब्ध.
- आरटीजीएस/एनईएफटी उपलब्ध.
- खाता विवरण ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध.
- निःशुल्क इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग सुविधा.

अधिक जानकारी के लिए: टोल फ्री नम्बर 1800-22-1911 [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) हमें लाइक करें: <https://www.facebook.com/CentralBankofIndia> हमें फॉलो करें: [https://twitter.com/centralbank\\_in](https://twitter.com/centralbank_in)

5. सेंट सक्षम – यह भी चालू खाते का एक विशेष प्रकार है जो कि केवल ग्रामीण और अर्द्धशहरी ग्राहकों हेतु डिजाइन किया गया है और ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी शाखाओं द्वारा ही खोला जा सकता है. चालू खाते के इस प्रकार में ग्राहक को क्यूआर कोड सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है और ग्राहक के लिए इसका लाभ उठाना और उपयोग करना अनिवार्य है. विशेष बात यह है कि यह खाता जीरो बैलेन्स से खोला जा सकता है अर्थात् खाता खोलते समय किसी न्यूनतम राशि को खाते में जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है किंतु इस खाते में रु. 1000.00 की आवश्यक न्यूनतम त्रैमासिक औसत शेष राशि रखना आवश्यक है. इस खाते में पहले एक वर्ष के दौरान न्यूनतम मासिक औसत शेष नहीं बनाए रखा जाता है तो उस पर कोई शुल्क नहीं किंतु उसके बार रु. 50.00 + जीएसटी देय होगा.

जैसा कि अभी हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू खाता खोलने हेतु नियमों में कुछ परिवर्तन किया है. अपनी समीक्षा के दौरान, आरबीआई ने 29 अक्टूबर 2021 को अधिसूचना जारी की है, कि बैंक उन

उधारकर्ताओं के लिए निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार चालू खाते खोल सकते हैं, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से नकद क्रेडिट (सीसी)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया है।

**सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया**  
Central Bank of India  
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL TO YOU SINCE 1911"

**ग्राहकों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने हेतु व्यापारियों के लिए एक एप**  
आधार नंबर और फिंगर प्रिंटस्कैन का उपयोग कर डिजिटल भुगतान की सुविधा

प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर स्वयं पंजीकरण करें.  
अनुमोदन के लिए केवायसी दस्तावेजों के साथ नजदीकी शाखा में विजिट करें.

- प्रति ट्रांजेक्शन सीमा ₹10000/-.
- प्रतिदिन सीमा ₹ 50000/-.
- व्यापारियों के लिए कोई एम. डी.आर प्रसार नहीं.
- फिंगर प्रिंट स्कैनर डिवाइस एवं एप के लिए मासिक प्रसार ₹ 300/-.
- डिवाइस के लिए सिक्युरिटी राशि के रूप में व्यापारी के खाते में ₹ 2000/- का गृह्याधिकार.
- व्यापारियों को डिवाइस खरीदने का विकल्प.

व्यापारियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन राशि (31 मार्च 2018 तक उपलब्ध)

[www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in)

हमें लाइक करें / Like us on: <https://www.facebook.com/CentralBankofIndiaMumbai> हमें फॉलो करें / Follow us on: [https://twitter.com/centralbank\\_in](https://twitter.com/centralbank_in)

1. ऐसे उधारकर्ताओं के लिए, जहां बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर रु. 5.00 करोड़ से कम है, बैंकों द्वारा चालू खाता खोलने या सीसी/ओडी सुविधा के प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते ऐसे उधारकर्ता से एक वचन पत्र प्राप्त हो कि जब उनके द्वारा बैंकिंग प्रणाली से प्राप्त क्रेडिट सुविधाएं रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक तक पहुंच जाती हैं तो वे बैंक को सूचित करेंगे.
2. उन उधारकर्ताओं जिसके पास सीसी/ओडी की सुविधा है के संबंध में जहां बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक है, तो ऐसे उधारकर्ता किसी भी बैंक के साथ चालू



खाता रख सकते हैं, बशर्ते कि बैंक के पास उस उधारकर्ता को बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर कम से कम 10 प्रतिशत हो.

3. इसके अलावा, अन्य उधार देने वाले बैंक केवल संग्रह खाते खोल सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे संग्रह खातों में जमा की गई धनराशि ऐसी धनराशि प्राप्त करने के दो कार्य दिवसों के भीतर, उपर्युक्त बैंक के चालू खातों को बनाए रखने वाले सीसी/ओडी खाते में भेज दी जाएगी. ऋण लेने वाले। यदि किसी भी ऋणदाता के पास उधारकर्ता को बैंकिंग प्रणाली का कम से कम 10% एक्सपोजर नहीं है, तो उच्चतम एक्सपोजर वाला बैंक चालू खाता खोल सकता है. गैर-उधार देने वाले बैंकों को चालू खाते खोलने की अनुमति नहीं है.
4. इसके अलावा. बैंकों को बिना किसी प्रतिबंध के चालू खाते खोलने/बनाए रखने की अनुमति है. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एएलएफएल), अर्थात् एक्विजि बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, और एसएलडीबीएल, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विशिष्ट निर्देशों के तहत खोले गए खाते, केंद्र या राज्य सरकारों/नियामक निकाय/न्यायालयों/जांच एजेंसियों के आदेश से जुड़े खाते आदि जिसमें ग्राहक कोई विवेकाधीन डेबिट और अंतर-बैंक खाते नहीं ले सकता है.
5. बैंक इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से उधारकर्ता को बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोजर और उस एक्सपोजर में बैंक के हिस्से के संबंध में, अर्ध-वार्षिक आधार पर नियमित रूप से सभी खातों की निगरानी करेंगे. यदि बैंकों के एक्सपोजर में कोई परिवर्तन होता है या उधारकर्ता को बैंकिंग प्रणाली का समग्र एक्सपोजर होता है, जो नई बैंकिंग व्यवस्था के कार्यान्वयन

की गारंटी देता है, तो ऐसे परिवर्तन ऐसी निगरानी की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर लागू किए जाएंगे.

### चालू खाते हेतु प्रक्रियात्मक पहलू.

- व्यक्तिगत खाते: शाखाओं को नाबालिग, दिवालिया, पागल, अनपढ़ और एनआरआई के नाम से चालू खाता नहीं खोलना चाहिए.
- परिचय : आवश्यक नहीं है.
- लाभार्थी स्वामी : वह जिसकी ओर से खाते का रखरखाव किया जाता है अर्थात प्राकृतिक व्यक्ति जो अंततः एक क्लाइंट का मालिक या नियंत्रण करता है और/या वह व्यक्ति जिसकी ओर से लेन-देन किया जा रहा है, और एक ऐसे व्यक्ति को प्रेरित करता है जो एक न्यायिक व्यक्ति पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है.
  - ए) जहां ग्राहक एक कंपनी है, लाभार्थी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ, या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहा है, जिसका नियंत्रण स्वामित्व हित है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है. स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ कंपनी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक शेयरों या पूंजी या मुनाफे का स्वामित्व या अधिकार है. "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा. जिसमें उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के समझौते या मतदान समझौते शामिल हैं.

- बी) जहां ग्राहक एक साझेदारी फर्म है, लाभार्थी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति (व्यक्तियों) है, जो, चाहे वह अभिनय कर रहा हो या एक साथ, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, पूंजी के पंद्रह प्रतिशत से अधिक बहुमत का स्वामित्व / हकदार है या साझेदारी का लाभ.
- सी) जहां ग्राहक एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों का निकाय है, लाभार्थी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ काम कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से पंद्रह से अधिक का स्वामित्व या हकदार है ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ का प्रतिशत.
- डी) जहां ऊपर (ए) या (बी) या (सी) के तहत किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है, लाभार्थी मालिक प्रासंगिक प्राकृतिक व्यक्ति होता है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण करता है.
- ई) जहां ग्राहक एक ट्रस्ट है, नियंत्रण या स्वामित्व की एक श्रृंखला के माध्यम से विश्वास पर लाभकारी स्वामी की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में पंद्रह प्रतिशत या अधिक रुचि वाले लाभार्थियों और अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने वाले किसी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी.
- एफ) जहां ग्राहक या नियंत्रक हित का स्वामी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है, या ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी है, वहां ऐसी कंपनियों के किसी शेयरधारक या लाभकारी स्वामी की पहचान की पहचान और सत्यापन करना आवश्यक नहीं है.

- चालू खाता खोलने के लिए, ग्राहक का पैसा प्राप्त करना होता है और इसे खाता खोलने के फॉर्म में उद्धृत करना होता है.
- मौजूदा बैंकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र - एक पखवाड़े की न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि के बाद मौजूदा बैंकों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शाखाएं संभावित ग्राहकों के नए चालू खाते खोल सकती हैं.
- शाखाओं को केवल पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम से चालू खाते खोलने की अनुमति है.
- गैर-सार्वजनिक चेरिटेबल ट्रस्ट खाते खोलने के संबंध में, सभी आरएम/एसआरएम अब अपने कानूनी सलाहकार/विधि अधिकारी से कानूनी राय प्राप्त करने के बाद इसे अनुमोदित करने के लिए अधिकृत हैं.
- सभी नए खोले गए चालू खातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और खाता खोलने की तारीख से कम से कम छह महीने की अवधि के लिए ग्राहक के प्रोफाइल के अनुरूप नहीं होने वाले लेनदेन को नियमित आधार पर ट्रैक किया जाना चाहिए.
- खाता खोलने की तिथि से छः माह तक बाहरी चेकों को तत्काल जमा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
- बैंक के साथ-साथ ग्राहकों (खाता धारकों) के हितों की रक्षा के लिए, काफी बड़ी राशि के बियरर चेक का भुगतान करते समय रु. 50000/- और अधिक, चेक के प्रस्तुतकर्ता की पहचान सत्यापित की जानी चाहिए या चेक के आहर्ता के माध्यम से इसकी पुष्टि की जानी चाहिए.

- बड़ी राशि के लिए वाहक चेक जैसे रु. 50,000 किसी अजनबी द्वारा या संदिग्ध आचरण के व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाए, उसे पासिंग अधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए, जो इस तरह के प्रस्तुतकर्ता की वास्तविकता के बारे में चतुराई से पूछताछ करके खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
- यह और भी आवश्यक है कि रद्द करने वाला अधिकारी/एसडब्ल्यूओ न केवल आहर्ता के हस्ताक्षर, बल्कि चेक की सामान्य उपस्थिति की भी सावधानीपूर्वक जांच करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है. एहतियात के तौर पर, शाखाओं को सभी चेकों को हनोवियन लैंप के नीचे और विशेष रूप से रुपये 50,000/-से अधिक के सभी नकद चेकों की जांच करनी चाहिए.
- जब आदाता द्वारा नकद भुगतान के लिए काउंटर पर एक ऑर्डर चेक प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे बैंक की संतुष्टि के लिए उचित रूप से पहचाना जाना चाहिए. आम तौर पर, हम बैंक के एक खाताधारक द्वारा पहचान स्वीकार कर सकते हैं, जिसका खाता छह महीने से कम नहीं चला है और खाते का संचालन संतोषजनक है.
- बैंक की शाखाएं/विस्तार काउंटर व्यक्तिगत खाताधारकों द्वारा संग्रहण के लिए प्रस्तुत किए गए रु.15000/- के कुल मूल्य तक के बाहरी चेक/लिखतों के लिए तत्काल क्रेडिट प्रदान करेंगे जो कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए ऐसे खातों के संतोषजनक संचालन के अधीन होगी. अमेरिकी डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्ग के लिखतों के मामले में भी तत्काल जमा की सुविधा घरेलू चेकों पर लागू समान मानदंडों के अधीन उपलब्ध होगी, बशर्ते ऐसे लिखत के बराबर रुपया 15000/- रुपये से अधिक न हो,

- ग्राहकों द्वारा संबंधित समाशोधन कार्यक्रम से तीन घंटे पहले तक जमा किए गए चेक उसी दिन समाशोधन गृह को भेजे जाएंगे. हालांकि, शाखाओं को मौजूदा स्थानीय समाशोधन कार्यक्रम के आधार पर व्यक्तिगत ग्राहकों के अधिक हित में डर के लिए उसी दिन चेक जमा करने की समय सीमा को कम करके समय सीमा को ठीक करने के लिए अधिकृत किया गया है.
- बैंक की शाखाएं बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के 24 घंटे के भीतर ग्राहक को उसके अंतिम दर्ज पते पर ग्राहक को अस्वीकृत लिखत वापस भेज देंगी / भेज देंगी.
- खाते में पर्याप्त धनराशि के अभाव में वित्तीय वर्ष के दौरान चार मौकों पर एक विशेष खाते में आहरित एक करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य के चेक के अनादरित होने की स्थिति में, कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी.

www.centralbankofindia.co.in

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
Central Bank of India  
15.11 से आपके लिए "केबिन" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

## सेन्ट मोबाइल कभी भी, कहीं भी

हमारे साथ  
सतत बने रहें

- खाते का संचालन
- 24X7 निधि अंतरण
- नजदीकी शाखा/एटीएम खोजें
- यूटिलिटी बिल का भुगतान
- अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड का प्रबंधन  
.....और भी बहुत कुछ

अधिक जानकारी के लिए, हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क कीजिए. आइए  
Change for all things with - <https://www.facebook.com/CentralBankofIndiaMumbai>  
पूरे भारत में संपर्क करें - [https://twitter.com/CentralBank\\_of\\_India](https://twitter.com/CentralBank_of_India)

एप्प डाउनलोड करें

ब्लैक बेरी  
गूगल प्ले  
एप्प स्टोर  
विंडोज स्टोर

## बचत खाते

जन साधारण के मध्य छोटी-छोटी बचतों के माध्यम से बड़ी राशि के निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी बैंक द्वारा बचत खाते भी खोले जाते हैं. समाज के विभिन्न आर्थिक स्तरों के अनुकूल हमारे बैंक में बचत खाते के विभिन्न प्रकार उपलब्ध हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है.

1. सामान्य बचत खाता
2. सेंट प्रीमियम बचत खाता

उपरोक्त दोनों प्रकार के खातों हेतु न्यूनतम जमा शेष सीमा तथा खाता खोलने हेतु प्रारंभिक जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है –

श्रेणी	सामान्य बचत खाता	सेंट प्रीमियम बचत खाता
ग्रामीण शाखा	रु. 500.00	रु. 50000.00
अर्द्धशहरी शाखा	रु. 1000.00	रु. 50000.00
शहरी तथा मेट्रो शाखा	रु. 2000.00	रु. 100000.00

उक्त के अतिरिक्त बचत खाते के कुछ अन्य प्रकार यथा – प्राथमिक बचत खाता तथा सेंट मुस्कान बचत खाता भी उपलब्ध हैं. ये दोनों प्रकार के बचत खाते प्रत्येक श्रेणी की शाखा द्वारा खोले जा सकते हैं. इन खातों में न्यूनतम मासिक शेष बनाएं रखने की बाध्यता नहीं है. साथ ही साथ कुछ विशिष्ट श्रेणियों हेतु बचत खाते के दो अन्य प्रकार – सेंट परम (सुरक्षा बलों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु) तथा सेंट समर्थ (वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु वेतन खाता) प्रस्तुत किए गए हैं.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया  
Central Bank of India


1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

इंटरनेट बैंकिंग

24X7 आपके साथ

INTERNET BANKING

With you 24X7



हमारे ग्राहकोन्मुख उत्पादों एवं सेवाओं की अधिक जानकारी  
के लिए कृपया हमारे शाखा प्रबंधक से संपर्क करें

To know more about our customer-oriented products  
& services, please contact our Branch Manager

हमें लाइक करें / Like us on [f https://www.facebook.com/CentralBankofIndiaMumbai](https://www.facebook.com/CentralBankofIndiaMumbai) • हमें फॉलो करें / Follow us on [t https://twitter.com/centralbank\\_in](https://twitter.com/centralbank_in)

[www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in)

**बचत बैंक ब्याज दर**

दिन के अंत में रु.10.00 लाख तक की शेष राशि: 2.90% प्रति वर्ष (निश्चित)



रु.10.00 लाख से अधिक शेष:  $4.00\% - 1.25\% = 2.75\%$  (रेपो दर से जुड़ा हुआ)

### सेंट मुस्कान खाता -

- प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों और समाज के अन्य गरीब वर्गों द्वारा बैंक खाता खोलने की सुविधा के लिए.
- कोई न्यूनतम शेष मानदंड नहीं.
- एक वित्तीय वर्ष में सभी जमाओं का योग एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगा और एक महीने में सभी निकासी और स्थानान्तरण का योग दस हजार रुपये से अधिक नहीं.
- खाते में किसी भी समय शेष राशि पचास हजार रुपये से अधिक नहीं और विदेशी आवक प्रेषण के माध्यम से कोई क्रेडिट नहीं.
- चेक बुक सुविधा की अनुमति नहीं है और चेक के संग्रहण की अनुमति नहीं लेकिन एटीएम/डेबिट कार्ड सुविधा है.
- खाता 12 महीने की अवधि के लिए परिचालन में होना है. इसके बाद बारह महीनों की एक और अवधि के लिए खाता चालू हो सकता है. यदि ऐसे खाते का धारक केवाईसी दस्तावेज प्रदान करता है या आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के लिए आवेदन करने का सबूत प्रदान करता है.
- 24 महीनों के भीतर और खाताधारक द्वारा केवाईसी मानदंडों को पूरा करने पर, खाता सामान्य एचएसएस खातों में स्थानांतरण के लिए पात्र होगा.

### सेंट प्रीमियम बचत खाता -

- उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (एच एन आई ग्राहकों) के लिए.



क्योंकि आप **ज्यादा** के हकदार हैं  
Because you deserve **MORE**

**सेन्ट प्रीमियम**  
बचत जमा खाता  
आप के साथ बढ़ता रहे

हमारा सेन्ट प्रीमियम बचत जमा खाता  
आपसे कहता है:  
"स्वातिरिक्त सुविधाओं का आनंद लें"  
इन 5 अतिरिक्त सुविधाओं में आप पाएंगे:

1. नि:शुल्क डोरस्टेप नकदी क्लियरिंग/संग्रहण
2. बैंक की किसी भी शाखा में नि:शुल्क नकदी जमा/निकासी
3. नि:शुल्क आरटीजीएस/एनईएफटी
4. नि:शुल्क मांग ड्राफ्ट
5. कार एवं आवास ऋणों के लिए शून्य प्रचार दरें -  
...और इनसे भी बढ़कर

**Cent Premium**  
Savings Deposit Account  
Evolving with you

Cent Premium Savings Deposit Account  
Is our way of saying -  
"enjoy the extra perks you deserve".  
The 5 Preferred Services Include:

1. Free doorstep delivery or collection of cash
2. Free cash deposit and withdrawals at any branch of the bank
3. Free RTGS/NEFT
4. Free demand drafts
5. No processing charges on car and housing loans  
...and a lot more.

हमारे ग्राहकों/ग्राहकों के लिए हमारे शाखा प्रबंधकों से संपर्क करें।  
के लिए कृपया हमारे शाखा प्रबंधकों से संपर्क करें।  
To know more about our customer-oriented products & services, please contact our Branch Manager.

हमें लाइक करें / Like us on <https://www.facebook.com/CentralBankofIndiaNunja> • हमें फॉलो करें / Follow us on [https://twitter.com/centralbank\\_in](https://twitter.com/centralbank_in)  
[www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in)

- ऐसे ग्राहकों को बैंक में उपलब्ध अधिकांश सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान की जाएंगी.

- इस उत्पाद के लिए, निम्नलिखित विवरण के अनुसार न्यूनतम तिमाही औसत शेष (क्यूएबी) का

रखरखाव निर्धारित है-

- ग्रामीण शाखा - रु. 50000/-
- सेमी अर्बन शाखा - रु. 50000/-
- शहरी शाखा - रु. 100000/-
- मेट्रो शाखा - रु. 100000/-

#### सेंट परम बचत खाता –

- भारतीय रक्षा कर्मियों के लिए यह खाता विशिष्ट रूप से बनाया गया है.
- खाते के तीन प्रकार हैं – यथा सेंट परम - वायु शक्ति, सेंट परम - स्थल शक्ति और सेंट परम - जल शक्ति.

#### अतिरिक्त सुविधाएं :

- जीरो बैलेंस.
- मुफ्त डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड. संयुक्त खाताधारक के लिए अतिरिक्त निःशुल्क डेबिट कार्ड/एटीएम कार्ड.
- भारत के भीतर निःशुल्क प्रेषण सुविधा.
- बिना किसी प्रतिबंध के बैंक की किसी भी शाखा में अपनी राशि निकाल या जमा कर सकते हैं.

- बैंक के कमीशन में 25% रियायत के साथ सोने के सिक्कों की बिक्री.
- 25% उपलब्धता के अनुसार किसी भी आकार के एक लॉकर पर किराए में छूट.
- यदि कर्मचारी के पास खाता खोलते समय पैन कार्ड नहीं है, तो पैन कार्ड लगाने का खर्च बैंक द्वारा वहन किया जाएगा. (पैन कार्ड आवेदन शुल्क आईटी विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम 75/- रुपये प्रति पैन कार्ड के अधीन)
- बैंक की सभी खुदरा ऋण योजनाओं पर ब्याज दर में 0.50% की कमी तत्काल प्रभाव से आधार दर पर न्यूनतम ब्याज दर वसूलने के अधीन है. वेतन खाता खोलने और बनाए रखने की तारीख से 5 साल पूरे होने के बाद ब्याज दर में 0.25% की और कमी की अनुमति है.
- पीएफ चेक का तुरंत क्रेडिट.
- गैर-घरेलू शाखाओं में तृतीय पक्ष के लिए रुपये 50,000.00 तक का मुफ्त लेनदेन.
- डीमैट खातों पर खाता खोलने के शुल्क में छूट.
- रु. 5.00 लाख तक नए वाहन ऋण पर 5% मार्जिन.
- सभी खुदरा ऋण उत्पादों पर प्रसंस्करण शुल्क की छूट.
- 2.00 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर ऐड-ऑन कार्ड धारकों सहित कार्ड धारकों की दुर्घटना में जान जाने की स्थिति में.

## सेंट समर्थ (संशोधित सेंट सेलरी बचत योजना) :

### मुख्य विशेषताएं :

- सरकारी/अर्ध सरकारी/पीएसयू के अलावा कॉर्पोरेट के लिए समूह खाता मानदंड की न्यूनतम संख्या 25 से घटाकर 10 कर दी गई है.
- नियोक्ता से घोषणा/अधिदेश प्राप्त करने की शर्त वापस ले ली गई है.
- ओवरड्राफ्ट सीमा निर्धारित करने के लिए मानदंड खाते में जमा वेतन की राशि होगी.
- खुदरा ऋणों पर प्रसंस्करण शुल्क में 100% की छूट और लॉकर किराए में 50% की छूट.

### पात्रता :

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/रेलवे, शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों, कॉर्पोरेट्स, लघु व्यवसाय इकाइयों के सभी स्थायी कर्मचारी न्यूनतम 10 कर्मचारियों के समूह में खाता खोल सकते हैं.

### अतिरिक्त सुविधाएं :

- खुदरा ऋण पर प्रसंस्करण शुल्क में 100% छूट और लॉकर किराए में 50% रियायत.
- प्रति वर्ष 80 चेक पन्ने बिना किसी शुल्क के.
- निःशुल्क आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा.
- 5 डीडी/बीसी प्रति तिमाही 100000/- रुपये तक की राशि के साथ निःशुल्क होगी.
- स्थायी निर्देशों के लिए कोई शुल्क नहीं.

- प्रति तिमाही तीन चेक भुगतान रोकने के निर्देश निःशुल्क होंगे.
- रु. 2.00 लाख तक के निःशुल्क दुर्घटना बीमा के साथ निःशुल्क रुपये प्लेटिनम कार्ड जारी किया जाएगा.
- खाते में लगातार 3 महीने तक वेतन जमा नहीं होने पर खाते को सामान्य बचत खाते में बदल दिया जाएगा.

### ओडी खाता :

ओवरड्राफ्ट सुविधा निम्नानुसार स्वीकृति सीमा के साथ उपलब्ध है -

वेतन रेंज	अधिकतम ओडी सीमा
रु. 10000.00 से रु. 40000.00	एक महीने का अंतिम जमा वेतन
रु. 40001.00 से रु. 70000.00	अंतिम जमा वेतन का दो गुना
रु. 70001.00 से अधिक	अंतिम जमा वेतन का तीन गुना

- ओडी सीमा एक वर्ष के लिए है और यह मंजूरी के अगले महीने से मासिक आधार पर कम हो जाएगी और 12 महीनों में शून्य हो जाएगी.
- ओडी सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी सीआईसी से 650 का स्कोर आवश्यक है.
- एक ही नियोक्ता के एक सेंट समर्थ खाताधारक की व्यक्तिगत गारंटी की आवश्यकता होगी.
- ब्याज दर होगी एमसीएलआर + 3%

## नियोक्ता के चालू खाते की विशेषताएं और लाभ :

नियोक्ता निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सीडी खाते खोल सकते हैं :

- कोई प्रारंभिक जमा और त्रैमासिक औसत शेष राशि की आवश्यकता नहीं है.
- प्रति वर्ष 300 चेक बिना किसी शुल्क.
- स्थायी अनुदेशों और चेकों के भुगतान रोकने संबंधी अनुदेशों के लिए कोई प्रभार नहीं.
- रु. 500000/- तक की राशि के साथ प्रति तिमाही 15 डीडी/बीसी मुफ्त.
- प्रति तिमाही 5 मुफ्त आरटीजीएस/एनईएफटी लेनदेन रु. 5.00 लाख प्रति लेनदेन.
- प्रमोटरों को आवास ऋण/कार ऋण में 40% की छूट.
- 



**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
Central Bank of India  
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

**सेन्ट मिलियनेअर**  
आवर्ती जमा योजना  
**CENT MILLIONAIRE**  
Recurring Deposit Scheme

## सेंट बाल भविष्य खाता -

### पात्रता :

12 वर्ष तक का कोई भी बच्चा अपने माता-पिता (पिता/माता) या कानूनी अभिभावक के साथ यह खाता खोल सकता है.

### प्रारंभिक जमा :

ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में : रु. 50.00

शहरी और मेट्रो शाखाओं में : रु. 100.00

### न्यूनतम जमा और शेष राशि :

खाते में हर महीने कम से कम एक जमा होना चाहिए और प्रत्येक छमाही के दौरान खाते में न्यूनतम कुल क्रेडिट निम्नानुसार होना चाहिए :

ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में : रु. 500.00

शहरी और मेट्रो शाखाओं में रु. 1000.00

इस खाते में जमा की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है.

### निकासी :

सावधि जमा करने के उद्देश्य को छोड़कर, बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस खाते में निकासी की अनुमति नहीं है.

### चेक बुक जारी करना :

बच्चे के वयस्क होने तक इस खाते में चेक बुक की अनुमति नहीं है.



### शेष राशि को सावधि जमा में परिवर्तनीयता :

बचत खाते से रु. 10000.00 से अधिक की शेष राशि को संचयी सावधि जमा योजना में बदलने के लिए विकल्प उपलब्ध है, यानी एमएमडीसी छह महीने की अवधि के लिए अधिकतम दस साल के लिए बच्चे की उम्र के आधार पर अतिरिक्त ब्याज के साथ 0.5% प्रति वर्ष यह अतिरिक्त ब्याज बच्चे के "व्यस्कता" की आयु प्राप्त करने तक ही उपलब्ध होगा और उसके बाद सामान्य दर का भुगतान किया जाएगा.

बाल भविष्य बचत और सावधि जमा खाते नाबालिग के लाभ के लिए और जमाकर्ता के अनुरोध पर असाधारण स्थिति में बंद किए जा सकते हैं. ऐसे मामले में, पहले से अनुमत 0.5% का अतिरिक्त ब्याज वापस ले लिया जाना चाहिए और सावधि जमा के लिए लागू सामान्य ब्याज दर पर 1% का दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा.

### अतिरिक्त सुविधाएं :

#### तत्काल चेक संग्रह :

बैंक खाते के संतोषजनक संचालन और समय-समय पर बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन, खाता खोलने के 6 महीने के बाद रु. 15000.00 तक के बाहरी चेकों को तुरंत क्रेडिट करने की अनुमति दे सकता है.

#### शिक्षा ऋण :

बैंक के नियमों और विनियमों के अनुसार बैंक खाताधारक बच्चे को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा ऋण देने पर विचार कर सकता है.

## उपभोग ऋण :

बैंक केवल बच्चे के लाभ के लिए जमा के ग्रहणाधिकार पर उपभोग ऋण के लिए माता-पिता/अभिभावक पर विचार कर सकता है:

## उद्देश्य :

ऋण बच्चे के लाभ के लिए दिया जाएगा अर्थात चिकित्सा उपचार, स्कूल/कॉलेज की फीस, वर्दी/किताबों की खरीद आदि के खर्चों को पूरा करने के लिए.

## ऋण की प्रमात्रा :

बचत और सावधि जमा खाते में धारित राशि का 75% की सीमा तक, जो अधिकतम 25000 रुपये के अधीन है.

## ब्याज दर और पुनर्भुगतान :

@10% प्रति वर्ष मासिक चक्रवृद्धि. ऋण को 24 समान मासिक किश्तों में चुकाना होगा.

## बीमा :

बजाज आलियांज के साथ वैकल्पिक.

# कतार को कहें “ना” डिजिटल बैंकिंग को कहें “हां”



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
Central Bank of India

1911 से आपके लिए “केंद्रित” “CENTRAL” TO YOU SINCE 1911



असुविधा से बचने के लिए हमारी डिजिटल बैंकिंग सुविधा का उपयोग करें एवं सिर्फ एक क्लिक से निर्बाध एवं आनंददायी बैंकिंग का अनुभव पाएं.

विमुद्रीकरण के पश्चात 160 लाख से अधिक ग्राहक हमारी सेवाओं का उपयोग कर चुके हैं तथा हम और भी अधिक ग्राहकों को सेवा देने के लिए तत्पर हैं.

● इन्टरनेट बैंकिंग ● मोबाइल बैंकिंग ● एटीएम ● पीओएस ● क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड कार्ड  
● यूएसएसबी (एनयूयूसी) ● आईएनपीएस ● एनईएफटी/आरटीजीएस.



<https://www.facebook.com/CentralBankofIndiaMumbai>

[https://twitter.com/centralbank\\_in](https://twitter.com/centralbank_in)

[www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in)

## बचत खाता प्रक्रियात्मक पहलू :

- बड़ी राशि के लिए यथा रु. 50000.00 ये उससे अधिक के बियरर चेक किसी अजनबी या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाए तो पासिंग अधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए, जो इस तरह के प्रस्तुतकर्ता के व्यवहार के बारे में चतुराई से पूछताछ करके खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
- शाखाओं को हनोवियन लैंप के तहत सभी चेकों की जांच करनी चाहिए और विशेष रूप से रु. 50000.00 से अधिक के सभी नकद चेकों की जांच करनी चाहिए.
- रु. 50000/- और उससे अधिक की अधिक राशि के बियरर चेक का भुगतान करते समय, चेक के प्रस्तुतकर्ता की पहचान सत्यापित की जानी चाहिए या चेक के आहर्ता के माध्यम से इसकी पुष्टि की जानी चाहिए.
- जहां एक तिथियुक्त चेक गुम होने की सूचना दी गई है और चेक की तारीख बैंक को प्रस्तुत कर दी गई है, चेक जारी होने की तारीख से तीन महीने के बाद संबंधित भुगतान रोक निर्देश, सिस्टम में

ग्राहक की फाइल से हटा दिए जा सकते हैं. ऐसा विलोपन एक अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए.

- कोरे चेक खो जाने की स्थिति में, नोटिंग स्टॉप भुगतान निर्देश गंभीर जोखिमों से भरा होता है, क्योंकि भुगतान रोकने के निर्देश खाते के जीवन तक जारी रहेंगे और कोई भी ढिलाई बैंक को संकट/वित्तीय नुकसान में डाल देगी. इसलिए, यह सुझाव है कि जिस खाते में कोरे चेक के खाने की सूचना दी गई है, ग्राहक को उस खाते को बंद करने हेतु और शेष राशि को नए खाते में स्थानांतरित करने की सलाह दी जाए.
- शाखाओं को सलाह दी जाती है कि "अदिनांकित चेकों का भुगतान रोकना स्वीकार न करें और इसे 'चेक बुक' की हानि के रूप में मानें और तदनुसार व्यवहार करें".
- खाता खोलने की तारीख से कम से कम छह महीने की अवधि के लिए सभी नए खोले गए खातों की नियमित आधार पर बारीकी से निगरानी/निगरानी की जानी चाहिए.
- बैंक खाताधारक को ट्रांजिट में खोए हुए लिखतों के संबंध में निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूर्ति करेगा.
  - यदि ग्राहक को संग्रह के लिए निर्धारित समय सीमा (7/10/14 दिन, जैसा भी मामला हो) से परे लिखत के नुकसान के बारे में सूचना दी जाती है, तो ऊपर निर्दिष्ट दरों पर निर्धारित संग्रह अवधि से अधिक की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा.
  - इसके अलावा, डुप्लीकेट चेक/लिखत प्राप्त करने और उसके संग्रहण में संभावित और देरी के लिए बैंक बचत बैंक दर पर 15 दिनों की और अवधि के लिए चेक की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा.

- बैंक ग्राहक को किसी भी उचित शुल्क (घरेलू लिखतों के लिए अधिकतम रु. 100.00 और अंतर्राष्ट्रीय लिखतों के लिए रु. 250/-) के लिए भी क्षतिपूर्ति करेगा, यदि वह रसीद प्रस्तुत करने पर डुप्लीकेट चेक/लिखत प्राप्त करता/करती है, तो उस स्थिति में किसी बैंक/संस्थान से लिखत प्राप्त करना होगा जो डुप्लीकेट लिखत जारी करने के लिए शुल्क लेगा.
- जब कोई चेक छूट गया हो/खो गया हो, तो डुप्लीकेट लिखत प्राप्त करने के लिए बैंक सभी लागत वहन करेगा. लेकिन ग्राहक डुप्लीकेट लिखत प्राप्त करने में सहायता करेगा. परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत उसकी देनदारी तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक बैंक को चेक की राशि प्राप्त नहीं हो जाती.
- आरएम/एसआरएम के पूर्वानुमोदन के बिना निष्पादकों और प्रशासकों के खाते नहीं खोले जाने चाहिए.

#### पेंशनरों से संबंधित :

- पेंशन भुगतान के लिए ग्राहक सेवा पुनर्मूल्यांकन पर प्रभाकर राव समिति है.
- कम्यूटेशन का लाभ उठाने वाले पेंशनभोगियों के लिए, 15 वर्ष के बाद पूर्ण पेंशन बहाल की जानी चाहिए.
- यदि शाखा में पेंशनभोगियों की संख्या 100 से अधिक है, तो शाखा प्रबंधक को पेंशनभोगियों के साथ तिमाही आधार पर संरचित बातचीत करनी चाहिए.



सावधि जमा

सुनिश्चित प्रतिफल, दे मुस्कान प्रतिपल

**FIXED DEPOSIT**

Assured returns, secured smiles



## सावधि जमाएं

- न्यूनतम अवधि 7 दिन और अधिकतम अवधि 10 वर्ष.
- विशेष मामले के रूप में कुछ संस्थानों/सरकार से अधिकतम 20 वर्ष की अवधि तक जमा.

## मियादी जमा :

- न्यूनतम 7 दिन और अधिकतम 120 महीने.
- न्यूनतम राशि : रु. 100/-
- अर्धवार्षिक देय साधारण ब्याज. (सितंबर और मार्च)

## क्यूआईडीआर :

- न्यूनतम अवधि : 12 महीने, ब्याज भुगतान : त्रैमासिक.
- जमा की न्यूनतम राशि : रु. 5000/-

## एमआईडीआर :

- न्यूनतम अवधि: 12 महीने, ब्याज भुगतान : मासिस
- जमा की न्यूनतम राशि : रु. 5000/-

### **एमएमडीसी :**

- न्यूनतम अवधि : 6 महीने, ब्याज भुगतान : तिमाही चक्रवृद्धि के साथ परिपक्वता पर.
- जमा की न्यूनतम राशि : रु. 100/-

### **आवर्ती जमा :**

- न्यूनतम अवधि : 6 महीने और अधिकतम 120 महीने, ब्याज भुगतान : तिमाही चक्रवृद्धि के साथ परिपक्वता पर.
- मासिक न्यूनतम जमा : रु. 100/- और रु. 50/- के गुणक में.

### **मिनी जमा खाता :**

- न्यूनतम जमा रु. 10/-
- इसके बाद ग्राहक रु. 10/- या रु. 10/- के गुणकों में जमा कर सकता है.
- अधिकतम अवधि : 36 महीने.

### **समय से पहले निकासी की सुविधा :**

- रु. 15 लाख रुपये और उससे कम के व्यक्तियों (एकल या संयुक्त रूप से धारित) की सभी सावधि जमा में, समय से पहले निकासी की सुविधा.



- 14 दिनों या उससे कम समय तक बैंक के पास रहने वाली समयपूर्व सावधि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा.
- रु. 5 लाख तक की जमाराशियों की समयपूर्व निकासी के मामले में, कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा और ब्याज का भुगतान उस अवधि के लिए लागू दर पर किया जाना है, जिसके लिए जमा जारी करने के समय बैंक के पास जमा रहा है या अनुबंधित दर पर जो भी कम हो.
- रु. 5 लाख से अधिक सावधि जमा की समयपूर्व निकासी पर जमा रसीद जारी करने के समय प्रचलित दर पर 1% की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा.
- स्वतः नवीकृत सावधि जमाओं का समयपूर्व भुगतान यहां ऊपर दिए गए प्रावधानों के अनुसार अद्यतन ब्याज के साथ किया जाएगा.
- मृतक व्यक्तिगत जमाकर्ता और दो या दो से अधिक संयुक्त जमाकर्ताओं के नाम पर जमा सावधि जमा के मामले में, जहां जमाकर्ताओं में से एक की मृत्यु हो गई है, मृत जमाकर्ता के खातों में जमा के समयपूर्व भुगतान पर जुर्माना माफ किया जाता है. जमाराशि रखने की तिथि पर वास्तव में चलने वाली अवधि के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है.
- यदि जमाकर्ता किसी मौजूदा मीयादी जमा खाते के समयपूर्व डोज्योर की मांग करके जमा को नवीनीकृत करना चाहता है, तो बैंक नवीनीकरण की तिथि पर लागू दर पर नवीनीकरण की अनुमति देगा, बशर्ते जमा राशि का नवीनीकरण अवधि की शेष अवधि से अधिक अवधि के लिए किया गया हो। मूल जमा। समय-समय पर जमा खातों के नवीनीकरण के उद्देश्य के लिए जमा को समय से पहले बंद करते समय, जमा राशि पर बैंक के पास रहने की अवधि के लिए ब्याज का

भुगतान उस अवधि के लिए लागू दर पर किया जाएगा (बिना किसी दंड के) जिस अवधि के लिए जमा के साथ रहा बैंक और अनुबंधित दर पर नहीं..

### अतिदेय जमा का नवीनीकरण :

- यदि अतिदेय अवधि 14 दिनों तक है : जमा रसीद का नवीनीकरण तिथि (अर्थात परिपक्वता की तारीख) और परिपक्वता तिथि पर प्रचलित दर पर किया जा सकता है.
- यदि अतिदेय अवधि 14 दिनों से अधिक है : अतिदेय जमा के हिस्से पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज (आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से) ताजा जमा के रूप में नवीनीकृत,, वास्तविक अतिदेय अवधि के लिए साधारण ब्याज का भुगतान निम्नानुसार किया जा सकता है)
- परिपक्वता की तारीख पर प्रचलित वास्तविक अतिदेय अवधि के लिए लागू आरओआई - या - आरओआई उस तारीख को प्रचलित वास्तविक अधिक देय अवधि के लिए लागू होता है जिस दिन जमा को नए जमा के रूप में नवीनीकृत किया जाता है. - या- उस अवधि के लिए लागू आरओआई जिसके लिए अतिदेय जमा ताजा जमा के रूप में किया गया है. जो सबसे कम है.
- अतिदेय जमा के मामले में (नवीनीकृत नहीं) : बचत दर पर देय ब्याज और संविदात्मक दर, जो भी कम हो.

## समय जमा का स्वतः नवीनीकरण -

हमारे बैंक में, सीबीएस में जमा का ऑटो रोल ओवर उपलब्ध है. ऑटो रोल ओवर के संबंध में अद्यतन विशेषताएं इस प्रकार हैं :

1. यदि ग्राहक ने ऑटो नवीनीकरण के लिए विशिष्ट आदेश दिया है तो जमा राशि को तदनुसार नवीनीकृत किया जाएगा.

2. यदि ग्राहक ने जमाराशियों के स्वतः नवीनीकरण के लिए कोई आदेश नहीं दिया है और वह जमा की देय तिथि/परिपक्वता तिथि तक इसे नवीनीकृत करने के लिए नहीं आया है, तो जमा स्वतः नवीनीकृत हो जाएगा, बशर्ते उस कथित जमा पर कोई ग्रहणाधिकार न हो.

- सावधि जमा का स्वतः नवीनीकरण अधिकतम एक वर्ष के लिए अनुमत होगा, बशर्ते कि जमा मूल रूप से एक वर्ष या उससे अधिक के लिए अनुबंधित हो.
- यदि जमा मूल रूप से एक वर्ष से कम अवधि के लिए अनुबंधित है, तो इसे उसी अवधि के लिए स्वतः नवीनीकृत किया जाना है.

उपरोक्त रूप में पहले ऑटो-नवीनीकरण के बाद भी ऑटो नवीनीकरण जारी रहेगा.

## सावधि जमा पर अन्य मामले :

- रु. 10.00 करोड़ से अधिक के लिए जमा दरें ट्रेजरी विभाग सीओ से उपलब्ध हैं.
- रु.2.00 करोड़ और उससे अधिक के बड़े मूल्य की जमाराशियों के लिए अपफ्रंट नॉन प्रीपेमेंट क्लॉज डाला जाना है.

- अतिरिक्त आरओआई @ 0.50% - 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को देय और हमारे बैंक के कर्मचारियों को 1% अतिरिक्त आरओआई.

डुप्लीकेट सावधि जमा रसीद के समय से पहले भुगतान की अनुमति देने और/या ऐसी जमा रसीदों पर ऋण की अनुमति देने की विवेकाधीन शक्ति, हालांकि, क्षेत्रीय प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक के पास निहित रहेगी, जो निम्नानुसार हैं :

- रु. 1 लाख तक की राशि के लिए - क्षेत्रीय प्रबंधक/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
- रु. 1 लाख से अधिक राशि के लिए - क्षेत्रीय प्रबंधक/क्षेत्र महाप्रबंधक

#### सावधि जमा खातों के प्रकार -

सेंट 777 जमा और 555 दिन की जमा राशि : (वापिस ले ली गई हैं)

#### सेंट एस्पायर जमा

- सावधि जमा (एमएमडीसी/एमआईडीआर/क्यूआईडीआर) मुफ्त क्रेडिट कार्ड (एस्पायर कार्ड) के साथ.
- न्यूनतम जमा राशि रु.20000/- तथा तत्पश्चात रु. 1000/- के गुणकों में.
- केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ही पात्र हैं.
- जमा की अवधि : न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष (3 महीने के गुणकों में)

- एस्पायर क्रेडिट कार्ड: (अभी नए कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं)
- सुरक्षित ईएमवी चिप आधारित प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड.
- किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है.
- ऐड-ऑन-कार्ड की अनुमति नहीं है.
- मौजूदा जमा को सेंट एस्पायर डिपाजिट में बदलने की अनुमति नहीं है.
- आय के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है.
- सिविल रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है.
- क्रेडिट सीमा: जमा की मूल राशि का 100% अधिकतम रु. 1000000/- के अधीन.
- ब्याज @1.50% प्रति माह लिया जाएगा; अधिकतम 55 दिनों तक की मुफ्त क्रेडिट अवधि के बाद.
- क्रेडिट सीमा की सीमा तक 100% नकद निकासी सुविधा उपलब्ध है.
- व्यक्तिगत दुर्घटना कवर (मृत्यु के विरुद्ध) रु. 100000/- (रुपये एक लाख मात्र) समूह बीमा योजना के तहत एकमात्र/पहले नामित जमाकर्ता को उपलब्ध है.
- एस्पायर क्रेडिट कार्ड 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा. कार्ड की बकाया राशि के समायोजन के बाद/उसके बाद समय से पहले निकासी के मामले में कार्ड को समाप्त कर दिया जाएगा.

### आवर्ती जमा खाते के प्रकार :

सेंट लखपति और सेंट मिलिनियर खाता :

- सेंट लखपति के लिए मासिक किस्त (10 साल के लिए) : रु. 650/-

- इसी तरह सेंट मिलियनेयर की किस्त रु. 6430/- रुपये होगी.



## सेंट लखपति सावधि जमा योजना

अब जब चाहो, लखपति बन जाओ!

## CENT LAKHPATI TERM DEPOSIT SCHEME

Ab jab chaho Lakhpati ban jao!



हमारे ग्राहकोन्मुख उत्पादों एवं सेवाओं की अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे शाखा प्रबंधक से संपर्क करें

To know more about our customer-oriented products & services, please contact our Branch Manager

हमें लाइक करें / Like us on: [f https://www.facebook.com/CentralBankofIndiaMumbai](https://www.facebook.com/CentralBankofIndiaMumbai) • हमें फॉलो करें / Follow us on: [t https://twitter.com/centralbank\\_in](https://twitter.com/centralbank_in)

[www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in)

## सेंट-स्व शक्ति (लचीली आवर्ती जमा योजना)

- उत्पाद लॉन्च की तारीख- 09/08/2012 के शुभ दिन यानी हमारे संस्थापक सर सोराबजी पोचखानवाला की 131वीं जयंती पर लॉन्च किया गया.
- पात्रता : व्यक्ति (अकेले या संयुक्त रूप से), अवयस्क (10 वर्ष और अधिक : एकल, 10 वर्ष से कम: अभिभावक के साथ शामिल हों), एचयूएफ, स्वामित्व, भागीदारी, संस्थान क्लब, ट्रस्ट/सोसायटी, कॉर्पोरेट आदि.
- 
- मासिक मूल राशि : न्यूनतम रु.100/- और उसके बाद रु.100/- के गुणकों में रु.100000/- की अधिकतम सीमा तक। मूल राशि के अलावा, एक महीने के दौरान अतिरिक्त जमा राशि का अधिकतम 10 गुना तक जमा किया जा सकता है.
- जमा की अवधि : 6 महीने से 120 महीने (तिमाहियों के गुणकों में).



**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
**Central Bank of India**



1911 से आपके लिए "केंद्रित" [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

बेटी है जहां खुशियां हैं वहां



**सुकन्या समृद्धि खाता SUKANYA SAMRIDDHI ACCOUNT**  
बालिकाओं के लिए एक अनुपम बचत योजना  
• वित्तीय सुरक्षा • आय कर में छूट • उच्च ब्याज दर




कृपया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आवें - सुकन्या समृद्धि खाता खुलवायें, घर-घर में खुशहाली लायें  
इस योजना की अधिक जानकारी हेतु हमारी शाखा से सम्पर्क करें



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "सेन्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



1911 के भारतीयों के सपनों का सशक्तिकरण  
**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
परदेश स्थित भारतीयों के लिए अधिक से अधिक सेवाएं

*Empowering Indian dreams since 1911...*

**Central Bank of India**  
reaches out to the International Indian  
with MORE

हमारा एनआरआई पैकेज  
आपको बैंक खाता  
और धन हस्तांतरण से  
अधिक देता है.

Our NRI Package  
goes beyond a bank  
account and money  
transfer.

हमारे उद्योगमूल्य उत्पादों एवं सेवाओं की अधिक जानकारी  
के लिए कृपया हमारे शाखा प्रबंधक से संपर्क करें

To know more about our customer-oriented products  
& services, please contact our Branch Manager

हमें लाइक करें / Like us on: <https://www.facebook.com/CentralBankofIndiaMumbai> • हमें फॉलो करें / Follow us on: [https://twitter.com/centralbank\\_in](https://twitter.com/centralbank_in)

[www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in)



## अनिवासी खाते/ NON RESIDENT ACCOUNTS

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति भारत में बैंकों के साथ एनआरई, एफसीएनआर (बी) और एनआरओ खाते खोलने और बनाए रखने के उद्देश्य से एनआरआई हैं.

- एक निवासी भारतीय (भारतीय पासपोर्ट धारक) जो रोजगार लेने या व्यवसाय या व्यवसाय करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए भारत छोड़ देता है जो अनिश्चित काल के लिए विदेश में रहने का इरादा दर्शाता है, एक एनआरआई है.
- उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने वाला छात्र भी एनआरआई है.

भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) पाकिस्तान/ बांग्लादेश/ भूटान/ नेपाल/ अफगानिस्तान/ श्रीलंका/ ईरान और चीन के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक है, यदि -

(ए) उन्होंने किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारण किया; या

(बी) वह या उसके माता-पिता या उसके दादा-दादी में से कोई भी भारत के संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के आधार पर भारत का नागरिक था या

(सी) व्यक्ति एक भारतीय नागरिक का पति या पत्नी है या उप-खंड (ए) या (बी) में निर्दिष्ट व्यक्ति है.

बैंक खाते जो अनिवासी भारतीयों/विदेशी नागरिकों द्वारा खोले जा सकते हैं.

- अनिवासी बाह्य खाते (एनआरई)
- अनिवासी साधारण) खाते (एनआरओ)
- विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा खाता (बी) एफसीएनआर (बी)

ये खाते केवल अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा ही खोले जा सकते हैं.

शाखाएं केवल भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से पाकिस्तान की राष्ट्रियता के स्वामित्व वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर एनआरओ खाते खोल और रख सकती हैं.

निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना बांग्लादेश की राष्ट्रियता के व्यक्तियों/व्यक्तियों के एनआरओ खाता खोलने की अनुमति है:

1. शाखा को स्वयं संतुष्ट होना चाहिए कि व्यक्ति के पास संबंधित विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ)/विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा जारी वैध वीजा और वैध आवासीय परमिट है.

2. शाखा उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगी और प्रत्येक तिमाही के अंत (मार्च/जून/सितंबर/दिसंबर) में प्रत्येक तिमाही के अंत से 7 दिनों के भीतर, बांग्लादेश की राष्ट्रियता के व्यक्तियों द्वारा खोले गए खातों का विवरण नीति अनुभाग, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग को प्रस्तुत करेगी। अवर सचिव (विदेशी), गृह मंत्रालय को आगे प्रस्तुत करने के लिए.

3. रिपोर्ट में व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम, भारत में आगमन की तारीख, पासपोर्ट संख्या और जारी करने का स्थान/देश, आवासीय परमिट संदर्भ और तारीख और जारी करने की जगह, संबंधित एफआरओ/एफआरआरओ का नाम शामिल होगा. और उस शाखा का पूरा पता और संपर्क नंबर जहां बैंक खाता रखा जा रहा है. बांग्लादेश के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा एनआरओ खाते खोलने के लिए अब तक की तरह रिजर्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता होती रहेगी.

**अनिवासी भारतीयों के लिए विभिन्न जमा खातों की विशेषताएं -**

ब्यौरा	एफसीएनआर (बी)	एनआरई	एनआरओ
कौन खोल सकता है	एनआरआई और पीआईओ बांग्लादेश और	एनआरआई और पीआईओ बांग्लादेश और	एनआरआई और पीआईओ कुछ शर्तों के तहत

	पाकिस्तान के नागरिकों को आरबीआई की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है.	पाकिस्तान के नागरिकों को आरबीआई की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है. भारतीय/नेपाली/भूटानी एनआरओ खाता खोलने की अनुमति नहीं दे सकते.	भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक. भारतीय/नेपाली/भूटानी एनआरओ खाता खोलने की अनुमति नहीं दे सकते.
खाते का प्रकार	केवल सावधि जमा (आवर्ती जमा को छोड़कर)	चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा और आवर्ती जमा.	चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा और आवर्ती जमा.
क्या संयुक्त खाता खोलने की अनुमति है	एनआरआई को अन्य एनआरआई के साथ संयुक्त रूप से एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाते खोलने और बनाए रखने की अनुमति है. अनिवासी भारतीयों को 'पूर्व या उत्तरजीवी' आधार पर एक निवासी करीबी रिश्तेदार (कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित करीबी रिश्तेदार) के साथ संयुक्त एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाता खोलने की		

	<p>भी अनुमति है.</p> <p>निवासी करीबी रिश्तेदार एनआरआई/पीआईओ खाताधारक के जीवनकाल के दौरान मौजूदा निर्देशों के अनुसार मुख्तारनामा धारक के रूप में खाते को संचालित करने के लिए पात्र होंगे.</p> <p>निवासी के संयुक्त नाम की अनुमति केवल परिचालन उद्देश्यों के लिए है.</p> <p>निवासी संयुक्त धारक के नाम से चेक, एनईएफटी/आरटीजीएस के साथ-साथ नकद ऐसे संयुक्त एनआरआई/एफसीएनआर खाते में जमा नहीं किया जा सकता है.</p>		
<p><b>खाते की मुद्रा</b></p>	<p>कोई भी अनुमेय मुद्रा (हमारे बैंक में हम यूएस डालर, यूरो, जीबीपी, एयूडी और सीएडी स्वीकार करते हैं)</p>	<p>केवल भारतीय रुपया</p>	<p>केवल भारतीय रुपया</p>
<p><b>अनुमत क्रेडिट और खाते में जमा का स्रोत क्या है</b></p>	<p><b>अनुमत क्रेडिट:-</b></p> <p>अ) एनआरआई, एफसीएनआर(बी) और एनआरओ खाता एनआरआई द्वारा विदेश से आवक प्रेषण के साथ खोला जा सकता है.</p>		

एक एनआरआई के मौजूदा घरेलू खाते को बैंक द्वारा एनआरओ के रूप में नामित किया जाना चाहिए, जब खाताधारक की स्थिति निवासी से अनिवासी भारतीय में बदल जाती है.

आ) एनआरई/एफसीएनआर(बी) खातों में विदेश से नए आवक विप्रेषणों के साथ क्रेडिट किया जा सकता है, और यह भी :

i) अन्य एनआरई/एफसीएनआर(बी)/एनआरओ खातों से स्थानांतरण. एनआरओ खाते से एनआरई खाते में स्थानांतरण के लिए फॉर्म 15 सीए और 15 सीबी आवश्यक है.

ii) सरकारी प्रतिभूतियों (जैसे एनएससी) की व्याज/परिपक्वता आय, लाभांश, म्यूचुअल फंड की परिपक्वता आय, बशर्ते म्यूचुअल फंड की प्रतिभूतियां/इकाइयां मूल रूप से एनआरई/एफसीएनआर(बी) खाते से डेबिट करके या भारत के बाहर से प्राप्त प्रेषण से खरीदी गई हों.

iii) भारत में अपनी अस्थायी यात्रा के दौरान व्यक्तिगत रूप से विदेशी मुद्रा नोट/यात्री चेक स्वयं के नाम से निविदा देना.

**बशर्ते:-**

जहां लागू हो वहाँ मुद्रा घोषणा फॉर्म में राशि घोषित की गई थी (मुद्रा नोट 5000 अमेरिकी डॉलर या इसके समकक्ष से अधिक हैं. या मुद्रा नोटों और ट्रैवलर्स चेक का संयोजन 10,000 अमेरिकी डॉलर या इसके समकक्ष से अधिक है.

iv) सरकारी प्रतिभूतियों (जैसे एनएससी) की ब्याज/परिपक्वता आय,

लाभांश, म्यूचुअल फंड की परिपक्वता आय, बशर्ते म्यूचुअल फंड

की प्रतिभूतियां/इकाइयां मूल रूप से

एनआरई/एफसीएनआर(बी) खाते से डेबिट करके या से प्राप्त

प्रेषण से खरीदी गई हों. बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत के

बाहर मुक्त विदेशी मुद्रा में.

v) एनआरआई ग्राहक द्वारा अपनी अस्थायी यात्रा के दौरान विदेशी

मुद्रा नोटों के नकदीकरण के खिलाफ जारी किए गए डिमांड

ड्राफ्ट / बैंकर चेक की आय, अन्य बैंक या अधिकृत मनी चेंजर

(एडी श्रेणी II) के साथ किया गया, जो अन्य एडी बैंक या

अधिकृत द्वारा जारी नकदीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है.

	<p>मनी चेंजर प्रस्तुत किया गया है.</p> <p>एनआरओ खाते में एनआरआई खाताधारक की सभी स्थानीय आय जैसे किराया, ब्याज, लाभांश, पेंशन, आदि और विदेश से ताजा आवक प्रेषण भी जमा किया जा सकता है. ऐसी स्थानीय आय (कर का शुद्ध) फॉर्म 15CA और 15CB प्राप्त करने के बाद ऐसे खाताधारक के NRE खाते में जमा / स्थानांतरित किया जा सकता है.</p>
<p>एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर (बी) खातों में किन डेबिट की अनुमति है?</p>	<p><u>एनआरओ खाते - अनुमत नामे :</u></p> <p>भारत में सभी स्थानीय भुगतान एनआरओ जमाराशियों और आवास ऋण पर लिए गए ऋणों की अदायगी.</p> <p>एनआरओ खाते से वर्तमान आय (किराया, लाभांश, ब्याज) का हस्तांतरण कर के भुगतान और फॉर्म 15 सीए और 15 सीबी जमा करने के अधीन एनआरआई खाताधारक के एनआरई खाते में जमा करने या भारत के बाहर प्रेषण की अनुमति है.</p>



भारत में धारित संपत्ति (चल और अचल) की जमा और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, लाभांश, किराया और विक्री आय जैसी मौजूदा आय के एनआरओ खाते से प्रति वित्तीय वर्ष 1.00 मिलियन अमेरिकी डालर (कर का शुद्ध) तक प्रेषण.

इस योजना के तहत प्रेषण की अनुमति निर्धारित निर्देशों के अनुपालन के अधीन है, जैसे कि निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना, आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म ए2, 15 सीए और सीए द्वारा 15 सीबी प्रमाणित कर देयता / भुगतान, आदि के बारे में.

**एनआरई खाते - अनुमत डेबिट :**

लिए गए ऋणों की अदायगी सहित सभी स्थानीय भुगतान।

किसी भारतीय कंपनी के शेयरों/प्रतिभूतियों/वाणिज्यिक पत्रों में स्वयं के नाम पर निवेश या भारत में अचल संपत्ति की खरीद, बशर्ते कि ऐसा निवेश/खरीद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों, या

सामान्य/विशेष अनुमति द्वारा कवर किया गया हो.

भारत के बाहर प्रेषण.

किसी अन्य एनआरई खाते को स्वयं या किसी अन्य एनआरआई व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित करें.

एफसीएनआर (बी) जमा में परिवर्तन.

**एफसीएनआर (बी) जमा - अनुमत नामे :**

एफसीएनआर (बी) एक सावधि जमा खाता है और इसलिए जमा को बंद करने या समय से पहले बंद करने के समय सीमित डेबिट लेनदेन होगा.

एफसीएनआर (बी) जमा खाते को सभी स्थानीय उद्देश्यों के भुगतान के लिए भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जा सकता है.

भारत के बाहर प्रेषण या तो उस मुद्रा में जिसमें जमा किया गया था या कोई अन्य विदेशी मुद्रा जिसमें जमाकर्ता भुगतान की मांग करता है.

	<p>जमाकर्ता के एनआरई खाते में जमा.</p> <p>तीसरे व्यक्ति का पूरा विवरण प्राप्त करने के बाद भारत के बाहर तीसरे व्यक्ति के पक्ष में प्रेषण.</p>
<p>क्या एनआरओ/एनआरई/एफसीएनआर(बी) जमा पर जमाकर्ता और तीसरे पक्ष को ऋण/अग्रिम की अनुमति है</p>	<p>हाँ। जमाकर्ता और तीसरे पक्ष को भी एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआर (बी) सावधि जमा की जमानत पर ऋण/अग्रिम की अनुमति है.</p>
<p>किन उद्देश्यों के लिए ऋण की अनुमति है?</p>	<p><u>अनिवासी भारतीय जमाकर्ता को ऋण की अनुमति है :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. व्यक्तिगत उद्देश्यों या व्यावसायिक गतिविधियों को करने के लिए*.</li> <li>II. भारतीय फर्मों/कंपनियों की पूंजी में अंशदान के रूप में गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर भारत में प्रत्यक्ष निवेश.</li> <li>III. भारत में अपने स्वयं के आवासीय उपयोग के लिए फ्लैट / घर का अधिग्रहण.</li> </ol> <p>तृतीय पक्षों को ऋण की अनुमति है :</p>

व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए या व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए निधि आधारित और/या गैर-निधि आधारित सुविधाएं.

## सेन्ट स्मार्ट पे

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के ग्राहकों हेतु सुविधाजनक ऑनलाइन बिल भुगतान सुविधा. बिना किसी पंजीकरण अथवा मर्चेट की वेबसाइट पर विजिट किए बिना, हमारे बैंक की इन्टरनेट बैंकिंग सेवा से बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच रिचार्ज, बीमा प्रीमियम, अनुदान, पत्रिका की सदस्यता इत्यादि का आसानी से भुगतान करें.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया-इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से केवल सेन्ट स्मार्ट पे का उपयोग करें.



अधिक जानकारी के लिए कृपया <https://www.billdesk.com/pgidsk/pgmerc/instpy/CBIIndex.jsp> पर विजिट करें

## निवासी विदेशी मुद्रा खाते

इस योजना के तहत दो तरह के खाते खोले जा सकते हैं.

1. निवासी विदेशी मुद्रा खाता। (आरएफसी)
2. निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता। (आरएफसीडी)

### निवासी विदेशी मुद्रा खाता। (आरएफसी)

एनआरआई/पीआईओ जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक नहीं हैं, जो कम से कम एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए भारत के बाहर निवासी थे और भारत के निवासी बन गए हैं, वे आरएफसी खाता खोलने के पात्र हैं. दूसरे शब्दों में, ये जमा योजना भारतीय राष्ट्रियता या मूल (एनआरआई और पीआईओ) के व्यक्तियों के लिए है, जो कम से कम एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए भारत से बाहर रहने के बाद स्थायी बंदोबस्त के लिए भारत लौटते हैं. इस योजना के तहत, वे विदेशों में अर्जित धन की राशि को विदेशी मुद्रा में बैंकों के पास जमा कर सकते हैं.

खाते के प्रकार और मुद्रा - खाता सावधि जमा या बचत या सीडी के रूप में खोला जा सकता है और किसी भी अनुमत मुद्रा में अनुमति दी जा सकती है.

### अनुमत क्रेडिट :

- भारत के बाहर बैंक जमा.
- विदेशी मुद्रा शेयर और प्रतिभूतियां.
- भारत के बाहर स्थित अचल संपत्तियों की बिक्री आय.
- भारत के बाहर निवेश से आय.
- भारत के बाहर रोजगार/पेंशन/व्यवसाय के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा.
- एफ/सी और विदेशी टी/सी की आय भारत में लाई गई
- उपहार के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा.

अनुमत डेबिट – RFC खाते में शेष राशि किसी भी BONAFIDE उपयोग खाता धारक, या उसके

आश्रित और विदेश में निवेश के लिए विदेश में स्वतंत्र रूप से प्रेषित की जा सकती है,

आरएफसी जमाराशियों के एवज में कोई ऋण सुविधा स्वीकृत नहीं की जा सकती है. जमा पर ब्याज आय पूरी तरह से आयकर से मुक्त है.

### निवासी विदेशी मुद्रा घरेलू खाता। (आरएफसीडी)

भारत का निवासी व्यक्ति (केवल व्यक्ति) इस सुविधा के तहत निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त विदेशी मुद्रा में से केवल सीडी खाता खोल सकता है –

- भारत के बाहर किसी भी स्थान की यात्रा के दौरान.

- भारत में निवासी नहीं किसी भी व्यक्ति से प्राप्त मानदेय/उपहार.
- प्रदान की गई सेवा या किसी वैध दायित्व के निपटान में.
- विदेश यात्रा के लिए उसके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की अव्ययित राशि.
- विदेशी मुद्रा को पूर्ण रूप से सामान्य बैंकिंग चैनल प्राप्त हुआ जो करीबी रिश्तेदारों से उपहार का प्रतिनिधित्व करता है या माल/सेवाओं, रॉयल्टी, मानदेय आदि के निर्यात के माध्यम से प्राप्त होता है.

**डेबिट** – इस खाते में सभी अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन के कारण प्रत्यावर्तन के लिए डेबिट किए जा सकते हैं.

**अन्य प्रावधान** - आरएफसी (डी) खाते में शेष राशि और ईईएफसी खाते में भी खाताधारक के अनुरोध पर एनआरई / एफसीएनआर (बी) खाते में जमा करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी स्थिति निवासी से अनिवासी में बदल जाती है.

### **ईईएफसी खाता (विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा)**

ईईएफसी खाता भारत में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा में खोला जा सकता है जो माल/सेवाओं के निर्यात के माध्यम से या पेशेवर सेवाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं या परिवर्तनीय मुद्राओं

में आवक प्रेषण प्राप्त कर रहे हैं. ईईएफसी खाता निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों (व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों आदि) द्वारा खोला जा सकता है.

- माल और सेवाओं के सभी निर्यातक जो निर्यात आय के लिए प्रेषण प्राप्त कर रहे हैं.
- व्यक्तिगत पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, सलाहकार, वकील, कलाकार, वैज्ञानिक, भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर आदि जो विदेशों में प्रदान की गई सेवाओं से विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं.

#### अन्य प्रावधान

- खाते की प्रकृति केवल चालू जमा के रूप में है.
- खाते में प्रत्येक माह के अंत में बकाया शेष अगले महीने के पहले दिन से पहले रुपये में परिवर्तित हो जाएगा.
- हालांकि एडी (AD) बैंक शेष राशि के किसी भी हिस्से (पहले महीने के अंत में) को दूसरे महीने की आखिरी तारीख के बाद गैर-रूपांतरण की अनुमति दे सकता है, बशर्ते ऐसी राशि विशेष रूप से दूसरे महीने के अंत से पहले फॉरवर्ड प्रतिबद्धता जैसे आयात भुगतान के लिए निर्धारित की गई हो, सहायक दस्तावेजों के आधार पर ईसीबी भुगतान.
- ईईएफसी जमाराशियों के एवज में किसी ऋण सुविधा की अनुमति नहीं दी जा सकती है.



## अनुमेय डेबिट

- सभी अनुमेय चालू और पूंजी खाता लेनदेन.
- भारत या विदेश में रहने वाले व्यक्ति को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए सभी वास्तविक भुगता.
- विदेशी आयातकों को व्यापार संबंधी ऋणों और अग्रिमों का भुगतान.

## सेंट एफसीएनआर (बी) प्रीमियम प्लस जमा योजना

हमारे बैंक ने हमारे एनआरआई ग्राहकों के लिए "सेंट एफसीएनआर (बी) प्रीमियम प्लस जमा योजना" नाम से एक नया जमा उत्पाद लॉन्च किया है. इस योजना की मुख्य विशेषताएं और नियम और शर्तें इस प्रकार हैं :

पात्र व्यक्ति	एनआरआई/पीआईओ
मुद्राओं	यूएसडी, जीबीपी, यूरो
न्यूनतम राशि	यूएसडी, जीबीपी और यूरो के लिए 10000
अधिकतम राशि	कोई सीमा नहीं.
ब्याज की दर	जैसा कि हर महीने के अंत में आईडी द्वारा घोषित किया जाता है.

## बुकिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट

- ग्राहक एफसीएनआर(बी) जमाराशियों की परिपक्वता राशि को रुपये में बदलने के लिए वायदा अनुबंध बुक कर सकता है.
- फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बुकिंग वैकल्पिक है और ग्राहकों की पसंद के अनुसार है. वायदा अनुबंध की देय तिथि जमा परिपक्वता तिथि के साथ मेल खाना है. वायदा संविदा की राशि जमाराशि की परिपक्वता राशि के बराबर या उससे कम होगी.
- ग्राहक के पास जमा अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय वायदा अनुबंध बुक करने का विकल्प होगा.
- फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बुकिंग पर कोई एक्सचेंज मार्जिन नहीं.
- यदि ग्राहक चाहें तो अनुबंध रद्द कर दें, विनिमय हानि यदि कोई हो, की वसूली की जाएगी.

समयपूर्व निकासी

- जमा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए बैंक के पास रहना चाहिए अन्यथा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा.
- एक वर्ष के बाद समय से पहले बंद होने का कोई दंडात्मक ब्याज नहीं.
- परिपक्वता से पहले एनआरई में एफसीएनआर (बी) और इसके विपरीत में परिवर्तन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.
- एफसीएनआर (बी) जमा की समयपूर्व निकासी पर, फॉरवर्ड कवर रद्दीकरण हानि या प्रारंभिक उपयोग शुल्क, जैसा भी मामला हो, लागू होगा.

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ऋण पर ब्याज दर

**(1) जहां फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया गया है :-**

एफसीएनआर (बी) जमा जहां परिपक्वता राशि के लिए वायदा अनुबंध बुक किया गया है, विदेशी मुद्रा में ऋण की अनुमति नहीं है.

• हालांकि INR में ऋण की अनुमति होगी.

ब्याज दर जमा दर से 2% अधिक होगी या आरबीएलआर जो भी अधिक हो स्वयं के लिए और जमा दर से 3% अधिक या आरबीएलआर प्लस 1% जो भी अधिक हो तीसरे पक्ष के मामले में.

(2) जहां फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं किया गया है:-

ग्राहक को विदेशी मुद्रा के साथ-साथ INR में ऋण की अनुमति होगी. INR के लिए ब्याज दरें बिंदु (1) के अनुसार समान होंगी. विदेशी मुद्रा के लिए ब्याज दरें स्वयं के लिए जमा दर से 2% अधिक और तृतीय पक्ष के मामले में जमा दर से 3% अधिक होंगी.

ऋण का उद्देश्य

जमाराशियों पर ऋण स्वीकृत उद्देश्यों के लिए दिया जाना चाहिए, जो

इस प्रकार हैं :

व्यक्तिगत उद्देश्यों या व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए,

कृषि / बागान गतिविधियों को फिर से देने या चलाने या अचल संपत्ति

व्यवसाय में निवेश के उद्देश्य को छोड़कर.

	<p>अ) अधिनियम के तहत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों के प्रावधानों के अधीन भारतीय फर्मों/कंपनियों की पूंजी में योगदान के माध्यम से गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर भारत में प्रत्यक्ष निवेश करना.</p> <p>आ) अधिनियम के तहत प्रासंगिक विनियमों के प्रावधानों के अधीन अपने स्वयं के आवासीय उपयोग के लिए भारत में फ्लैट / घर का अधिग्रहण.</p>
परिपक्वता पर भुगतान	<p><b>मामले जहां वायदा अनुबंध बुक किया गया है :</b></p> <p>परिपक्वता राशि ग्राहक द्वारा बुक किए गए वायदा अनुबंध का उपयोग करते हुए एनआरआई या एनआरओ बचत खाते में जमा की जाएगी.</p> <p>यदि ग्राहक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग नहीं करना चाहता है या केवल विदेशी मुद्रा में परिपक्वता राशि के लिए अनुरोध नहीं करता है, तो इसकी अनुमति है लेकिन ग्राहक द्वारा बुक किए गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना होगा. वायदा अनुबंध को रद्द करने पर ग्राहक से किसी भी विनिमय हानि की वसूली की जाएगी. अगर वायदा अनुबंध की परिपक्वता तिथि को या उससे पहले वायदा अनुबंध रद्द कर दिया जाता है तो वायदा अनुबंध को रद्द करने पर कोई भी विनिमय लाभ ग्राहक को दिया जाएगा.</p>

	<p><b>मामले जहां वायदा अनुबंध बुक नहीं किया गया :-</b></p> <p>जमाराशियों की परिपक्वता राशि का भुगतान ग्राहक को उसके निर्देशों के अनुसार विदेशी मुद्रा में किया जाएगा.</p> <p>यदि ग्राहक परिपक्वता राशि को अपने बचत खाते में भारतीय रुपये में लेना चाहता है तो वह मौजूदा बाजार दरों पर विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपये में परिवर्तित करके किया जाएगा.</p>
<p>ग्राहक को अतिरिक्त लाभ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. रुपया प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर निर्गम/नवीकरण शुल्क-निःशुल्क.</li> <li>2. एफसीएनआर (बी) जमा की समयपूर्व निकासी पर कोई दंडात्मक ब्याज नहीं, हालांकि ब्याज का भुगतान तभी किया जाएगा जब जमा राशि कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए बैंक के पास रहती है.</li> <li>3. परिपक्वता से पहले एनआरई को एफसीएनआर (बी) जमा और इसके विपरीत में परिवर्तन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.</li> <li>4. वायदा अनुबंध की बुकिंग पर कोई विनिमय मार्जिन नहीं.</li> <li>5. जमाकर्ता के अनुरोध पर स्विफ्ट शुल्क के बिना जमा की परिपक्वता राशि का प्रेषण.</li> </ol>



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
Central Bank of India

1911 से ज़िन्हें फ़ॉर "बैंक" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



यदि वह कर सकती है... तो आप भी. IF SHE CAN... YOU CAN.

प्रत्येक माह में अपनी  
पसंद की राशि जमा करने  
की स्वतंत्रता

*Freedom to deposit the  
amount of your  
choice every month*



**सेन्ट स्व-शक्ति**

एक अनूठी जमा योजना



**Cent Swa-Shakti**

A flexible recurring deposit

अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे सभी अतिरिक्त उत्पादों  
के लिए कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है तो

To know more about our customer-oriented products  
& services, please contact our Branch Manager.

हमें फ़ॉलो करें / Like us on <https://www.facebook.com/CentralBankofIndiaMain> • हमें फ़ॉलो करें / Follow us on [https://twitter.com/centbank\\_in](https://twitter.com/centbank_in)

[www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in)

## बैंक जमा पर नीति

परिचय : बैंक का प्राथमिक कार्य उधार देने के उद्देश्य से जनता से जमा राशि लेना है। यह नीति ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की जमाराशियों, खातों, देय ब्याज और सेवाओं आदि पर केंद्रित है.

### जमा के प्रकार :-

- **मांग जमा** : एक जमा जो मांग पर ग्राहकों द्वारा आहरण योग्य है। चालू खाता और बचत खाता
- मांग जमा है जिसे कासा के रूप में भी जाना जाता है और बैंकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि - वे हैं धन का बहुत कम लागत वाला स्रोत.
- **सावधि जमा** : एक जमा राशि जिसे ग्राहक एक निश्चित अवधि के बाद निकाल सकता है.
- **नोटिस जमा** : निर्दिष्ट अवधि के लिए सावधि जमा लेकिन कम से कम एक पूर्ण बैंकिंग दिवस नोटिस देने पर निकासी योग्य

### खाता खोलना और जमा खातों का संचालन :

- खाते को केवाईसी/ एएमएल नीति दिशानिर्देशों के अनुसार खोला जाना चाहिए और यदि उच्च स्तर से मंजूरी की आवश्यकता हो तो ग्राहक को प्रदान की जाने वाली जानकारी.



- बैंक समाज की सेवा करने के लिए बाध्य हैं और यह छोटे बचत खातों के माध्यम से नियमों में ढील के साथ किया जाएगा.
- खाता खोलने का फॉर्म और अन्य जानकारी ग्राहकों को प्रदान की जाये और ओवीडी ग्राहकों से प्राप्त किया जाना है.
- कासा जमाकर्ताओं द्वारा बनाए रखा जाने वाला न्यूनतम शेष. यदि ग्राहक इस तरह के संतुलन को बनाए रखने में विफल रहता है तो उन पर मिनिमम बैलेंस चार्ज लगेगा.
- बचत खाता व्यक्तिगत और कुछ संगठनों जैसे सोसायटी आदि द्वारा खोला जा सकता है, वर्तमान खाता व्यक्तिगत और कानूनी संस्थाओं द्वारा खोला जा सकता है. और सावधि जमा व्यक्तिगत के साथ-साथ कानूनी संस्थाओं द्वारा खोला जा सकता है.
- खाता खोलते समय उचित सावधानी बरती जानी चाहिए और समय-समय पर पुनः केवाईसी किया जाना चाहिए.
- आयकर का अनुपालन करने के लिए पैन नंबर या सामान्य सूचकांक संख्या (जीआईआर) या फॉर्म 60 या 61 प्राप्त करने की आवश्यकता है.
- खाते अकेले या संयुक्त रूप से खोले जा सकते हैं, नाबालिगों का खाता प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के साथ खोला जा सकता है. बहुमत प्राप्त करने के बाद मामूली ताजा केवाईसी और नमूना प्राप्त करने के बाद सिस्टम में अद्यतन और रिकॉर्ड में रखा जाएगा। 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग को व्यक्तिगत रूप से खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति है.

- संयुक्त खाते में संचालन सभी खाताधारकों द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अकेले या संयुक्त रूप से खाता खोलने के समय किया जा सकता है.
- जमाकर्ता/एनआरआई जमाकर्ता के अनुरोध पर बैंक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी ओर से खाता संचालित करने के लिए अधिदेश/ मुख्तारनामा दर्ज करेगा.
- सावधि जमा को बंद करने या नवीनीकरण के संबंध में निर्देश ग्राहक द्वारा के समय पर दिया जा सकता है.
- ग्राहक द्वारा खाता खोलने के समय मीयादी जमा को बंद करने या उसके नवीनीकरण के संबंध में निर्देश के समय पर दिए जा सकते हैं. यदि जमा एक वर्ष या उससे अधिक के लिए रखा गया है तो ऑटो नवीनीकरण नियत तारीख पर प्रचलित दर से एक वर्ष के लिए होगा. यदि जमा एक वर्ष से कम समय के लिए रखा जाता है तो ऑटो नवीनीकरण से नियत तिथि पर प्रचलित दर पर समान अवधि के लिए स्थान से अधिक समय लगेगा.

#### अतिदेय आरडी/टीडीआर का नवीनीकरण:

- आरडी के मामले में यदि ग्राहक 14 दिनों के भीतर बैंक में निवेश करने के लिए संपर्क करता है तो रोलओवर सुविधा उपलब्ध नहीं है, निवेश के अलावा अन्य टीडीआर में आरडी राशि मैच्योरिटी की तारीख से की जा सकती है. टीडीआर के मामले में यदि ग्राहक 14 दिनों के भीतर बैंक से संपर्क करता है, परिपक्वता की तारीख से इसे नवीनीकृत किया जा सकता है. टीडीआर के मामले में, 14

दिनों के बाद प्राप्त अनुरोध बैंक द्वारा तय किए गए ब्याज का भुगतान ग्राहक को किया जाएगा.

गैर-नवीकरण के मामले में ग्राहक को @ एसबी ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

**नामांकन सुविधा :** व्यक्ति के सभी जमा खातों पर नामांकन सुविधा उपलब्ध है और एकमात्र स्वामी के खाते के मामले में नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है. अवयस्क को नामांकित के रूप में संरक्षक के मामले में नियुक्त किया जा सकता है. खाता धारक द्वारा किसी भी समय नामांकन रद्द/बदला जा सकता है. संयुक्त खाते से नामांकित व्यक्ति के मामले में सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के मामले में ही अधिकार उत्पन्न होते हैं.

**खाताधारकों का विवरण :** बचत खातों की पासबुक के साथ खाताधारकों को ई-मेल के माध्यम से विवरण प्रदान किया जा सकता है और चालू खातों के लिए मासिक आधार पर या सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार भौतिक विवरण.

**खाता सुवाह्यता :** KCY अनुपालक खातों को देश के किसी भी भाग में एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है. खातों के हस्तांतरण के बाद, खाताधारक को स्थानीय पते का प्रमाण प्रदान करना होगा.

**खातों को बंद करना :** ग्राहक से आवेदन प्राप्त होने के बाद किसी भी समय खाते बंद किए जा सकते हैं, ग्राहक को संयुक्त खातों के मामले में सभी खाताधारक के पास अनुरोध के साथ एटीएम, पासबुक, अप्रयुक्त चेक को सरेंडर करना होगा, संयुक्त खाते के मामले में सभी खाता धारकों को हस्ताक्षर करना होगा। खाता खोलने के 14 दिनों के भीतर खाता बंद करने के मामले में कोई शुल्क लागू नहीं होगा लेकिन 14 दिनों के बाद और 1 वर्ष के भीतर समेकित सेवा प्रभार परिपत्र दिनांक 28/07/21 के रूप में उचित शुल्क वसूल किया जाएगा.

**ब्याज भुगतान :** ग्राहक को भुगतान किया गया ब्याज गणना के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होता है. बैंक लीप ईयर के लिए भी 365 दिनों पर वर्ष की गणना करता है. एसबी/टीडीआर को बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

**सांविधिक दायित्व :** आयकर अधिनियम के अनुसार, बैंकों को अर्जित ब्याज स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता होती है ग्राहकों द्वारा जमा करना और वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्राहकों को टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना। ग्राहक स्रोत पर कर कटौती से बचने के लिए फॉर्म 15जी (गैर-वरिष्ठ नागरिक) और फॉर्म 15एच (वरिष्ठ नागरिक) जमा कर सकते हैं। शाखाओं को सीबीएस में फॉर्म 15 जी/एच के विवरण अपडेट करने की आवश्यकता है.

**निरिक्षर/नेत्रहीन व्यक्ति:** उन्हें अकेले या संयुक्त रूप से सामान्य बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है। उनकी पहचान एक ऐसे गवाह द्वारा की जाती है जो ग्राहक और बैंक दोनों को जानता है।

**ग्राहकों के खाते की गोपनीयता:** बैंक ग्राहक की जानकारी को तीसरे पक्ष/व्यक्ति को बिना ग्राहक की अनुमति के प्रकट नहीं करेगा। कुछ अपवादों जैसे कानून के कारण मजबूरी, जनता ब्याज शामिल है आदि के तहत जानकारी का खुलासा किया जा सकता है।

**सावधि जमा की समयपूर्व निकासी :** समय से पहले निकासी के मामले में बैंक दंडात्मक ब्याज लगा सकता है। 5 लाख रुपये तक की समयपूर्व निकासी पर कोई जुर्माना नहीं, 5 लाख रुपये से अधिक पर 1%, समय से पहले निकासी के मामले में कोई जुर्माना नहीं, शेष की तुलना में लंबी अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाता है। मृतक निपटान के मामले में छूट दी गई।

**जमा पर अग्रिम :** मीयादी जमाराशियों पर ऋणों पर विधिवत रूप से उन्मोचित रसीद के बाद विचार किया जा सकता है और बैंक के पक्ष में निष्पादित ऋण दस्तावेज. अवयस्क जमाराशियों पर ऋण अभिभावक से घोषणा कि नाबालिग के लाभ के लिए ऋण राशि आवश्यक है, प्राप्त करने के बाद विचार किया जा सकता है. नाबालिग और एचयूएफ के नाम पर किसी भी ऋण की अनुमति नहीं दी जाएगी.

**मृत खाते के मामले में देय ब्याज :** परिपक्वता से पहले मृत्यु और ब्याज की तुलना में परिपक्वता के बाद किया गया दावा अनुबंधित दर पर परिपक्वता तक भुगतान किया जाएगा और उसके बाद ब्याज की बचत दर देय होगी. मृत्यु के बाद परिपक्वता तक अनुबंधित दर पर ब्याज की तुलना में परिपक्वता का भुगतान किया जाएगा और उसके बाद ब्याज की बचत दर होगी देय. वरिष्ठ नागरिक/कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी के मामले में अतिरिक्त आरओआई के सभी लाभ समाप्त हो जाएंगे और किसी भी मामले में अतिरिक्त भुगतान शाखा को इसे मैनुअल रूप से पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता है.

**जमा के लिए बीमा कवर :** सभी बैंक जमा डीआईसीजीसी के अंतर्गत आते हैं (जमा बीमा क्रेडिट गारंटी भारतीय निगम).

**भुगतान रोकने की सुविधा :** बैंक ग्राहकों से भुगतान रोकने के अनुरोध को स्वीकार करेगा और उचित सेवा शुल्ककी वसूली करेगा.

**निष्क्रिय/निष्क्रिय खाते :** बैंकों को उन सभी खातों की सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर पिछले 10 वर्षों या उससे अधिक में संचालित नहीं हुए हैं. और बैंकों को खातों में पड़े क्रेडिट बैलेंस को आरबीआई को DEAF (जमाकर्ता जागरूकता कोष योजना) 2004 के तहत ट्रांसफर करना होता है.

निष्क्रिय खातों की सूची प्रदर्शित करें : बैंक उनकी वेबसाइट पर 10 वर्षों या उससे अधिक के लिए दावा न किए गए जमा/निष्क्रिय खातों की सूची प्रदर्शित करेगा। सूची में केवल व्यक्तिगत खातों के मामले में और गैर-व्यक्तिगत के मामले में खाते का संचालन करने वाले व्यक्ति के नाम होंगे।

**सुरक्षित जमा लॉकर (एसडीएल) :** प्रत्येक शाखा में सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहाँ भी उपलब्ध हो, लॉकर का आवंटन उपलब्धता और अन्य नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है। लॉकर व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से या गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों के मामले में उनके नाम से जारी किया जा सकता है।

**शिकायतें और उनका निवारण :** सेवाओं के संबंध में कोई शिकायत रखने वाले जमाकर्ता हमारी वेबसाइट

[www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in),

ई-मेल

[complaint@centralbank.co.in](mailto:complaint@centralbank.co.in),

[cmoper@centralbank.co.in](mailto:cmoper@centralbank.co.in) के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं या टोल फ्री नंबर

1800 22 1911 का उपयोग कर सकते हैं। पीड़ित ग्राहक बैंक को या आंतरिक लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं और समस्या को हल करने के लिए 30 दिनों की समय-सीमा दी जाती है, अगर पीड़ित ग्राहक का माधान नहीं होता है तो बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया  
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

# कोरोना वायरस

को फैलने से रोकने तथा मानव सम्पर्क कम करने के लिए  
नेट बैंकिंग, मोबाइल तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें.



हाथ मिलाने से बचें और  
6 फीट की दूरी बनाए रखें



आंखे, नाक और मुंह  
को छूने से बचें



गैर-जरूरी यात्रा से बचें



साबुन से हाथ 20 सेकंड तक धोएं  
अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग करें



खांसते/छींकते समय मुंह को  
टिश्यू पेपर या रुमाल से ढंके



कुछ संदेह होने पर नजदीकी सरकारी  
अस्पताल से सम्पर्क करें



कोरोना हेल्प लाइन नंबर : 011 2397 8046

आइए मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला करें

टोल फ्री नम्बर 1800-22-1911  
www.centralbankofindia.co.in

हमें लाईक करें:



<https://www.facebook.com/CentralBankofIndia>

हमें फॉलो करें:



[https://twitter.com/centralbank\\_in](https://twitter.com/centralbank_in)